FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री नन्दलाल व्यास, बसन्त विहार, तीसरी 'ए' रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर), पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 132 /2019
R.C.M.S. No. --2019/00
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.2019	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर), पाली वगैरा ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 01/01/20 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
1-1-20	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली को वांछित सूचना हेतु निर्देशित कराने का निवेदन किया है। इस न्यायालय द्वारा लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली को लिखे जाने पर उन्होंने अवगत कराया कि अपीलांट को वांछित पत्रावलियों के निरीक्षण हेतु कार्यदिवस को कार्यालय समय में उप० होकर पत्रावलियों का निरीक्षण करने हेतु लिख दिया गया है कि वे पत्रावलियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कार्यानुसार कर सकते हैं। इस प्रकार इसके पश्चात अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही अवशेष नहीं रह जाने से उन्होंने अपने पत्रांक रा० लो० सू० अ० /368/ 2019/ 2112-डि० 24-12-2019 के अपील प्रकरण निस्तारण कराने हेतु निवेदन किया है। लोक सूचना अधि० (ADM) पाली द्वारा निरीक्षण करने हेतु सूचित कर दिए जाने के बाद इसमें किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रह जाती ऐसी स्थिति में प्रकरण निस्तारित किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	